न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -40/2024

अनवान

गुरदीप सिंह पुत्र राजपाल सिंह, जाति सिंह, उम्र बालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. गुरमीत सिंह पुत्र नरपाल सिंह, जाति सिख, उम्र बालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. जसवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह, जाति सिख, उम्र बालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एकतरफा कार्यवाही व 04 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 13.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने न्यायाल श्रीमान् में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 183, 188 रा0टि0 एक्ट का पेश किया है वादी प्रार्थी को आशा है कि वादपत्र अवश्य ही वादीगण के पक्ष में डिक्री होगा। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम मौजा हमेरगंज, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 7, खसरा संख्या 103/170, 105/157, 106/182, 89/175, 92/138कुल किता 05 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 15.05.2024 को मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार भू0अ0नि0 राजपुरा द्वारा की गई जिसकी पालना रिपोर्ट व मौका पर्चा में भू.अ.निरीक्षक द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि मुझ प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 89/175 रकबा 0.55 हैक्टर में से रकबा 0.30 हैक्टर कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 01 गुरमीत सिंह का कब्जा है तथा आराजी संख्या 103/170 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि पर विपक्षी संख्या 02 जसवीर सिंह का कब्जा है तथा आराजी संख्या 105/157 रकबा 0.55 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर पर विपक्षी संख्या 02 जसवीर सिंह का कब्जा बताया है जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01,02 को कब्जा छोड़ने हेतु निवेदन किया तो विपक्षीगण लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो गये तथा कब्जा छोड़ने से मना कर दिया इसलिए यह प्रार्थना-पत्र बेदखली बाबत् निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीका[illegible] मुझ प्रार्थी की खाते की आराजी संख्या 89/175 रकबा 0.55 कृषि भूमि में से [illegible]30 है[illegible] कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 01 गुरमीत सिंह ने कब्जा कर लिया है तथा आराजी संख्या [illegible]70 रकबा 1.55 भूमि पर विपक्षी संख्या 02 जसवीर सिंह ने कब्जा [illegible] 105/157 रकबा 0.55 हैक्टर भूमि में से 0.15 हैक्टर पर विपक्षी संख्या 02 जसवीर सिंह [illegible] कर लिया है जिन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि यह उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से कराने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.28 13:42:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 03 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए बावजूद इसके जवाब प्रस्तुत नहीं होने से एंव राज सरकार हित प्रभावित नहीं होने से जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते की जमीन ग्राम हमेरगंज प0ह0 टोलो का लुहारिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 07 खसरा संख्या 103/170, 105/157, 106/182, 89/175, 92/138 कुल किता 05 कुल रकबा 3.82है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 89/175 रकबा 0.55है0 मे से 0.30है0 पर विपक्षी संख्या 01 व आराजी संख्या 103/170 रकबा 1.55है0 तथा आराजी संख्या 105/157 रकबा 0.55है0 मे से 0.15है0 भूमि पर विपक्षी संख्या 02 ने कब्जा कर लिया है, जिन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत सम्वत 2076-79 की ग्राम हमेरगंज, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 89/175 रकबा 0.55है0, आराजी संख्या 103/170 रकबा 1.55है0 व आराजी संख्या 105/157 रकबा 0.55है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की उपरौक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, मदाखलत न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.) सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.28 13:42:32 IST
Reason: SelfAttested